



संख्या— 352

प्रेस रिलीज

08/04/2026

पटना 08 अप्रैल 2026 :- आज दिनांक-08.04.2026 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती ले ली सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह, निदेशक-सह-विशेष सचिव, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, श्री विभूति रंजन चौधरी, विशेष सचिव, श्री उपेन्द्र कुमार, एवं प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम श्री सुनील कुमार उपस्थित रहें।

आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह ने विभाग की निम्न उपलब्धियों के बारे में प्रेस एवं मीडिया को जानकारी प्रदान की।

(1) अधिप्राप्ति:-

धान अधिप्राप्ति:-

- “खरीफ विपणन मौसम 2025-26” अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31.03.2026 तक धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 5,40,474 किसानों से 8807.47 करोड़ रुपये की 36.79 लाख मीट्रिक टन (अधिप्राप्ति लक्ष्य का 99.84 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई।
- विदित हो कि भारत सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 28.02.2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन राज्य सरकार के अथक प्रयास से भारत सरकार द्वारा इस तिथि को पुनर्निर्धारित कर 31.03.2026 किया गया।
- दिनांक-06.04.2026 तक चावल प्राप्ति हेतु कुल लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 12.06 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराया जा चुका है। शेष चावल की प्राप्ति अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक- 15.06.2026 तक कर ली जाएगी।

गेहूँ अधिप्राप्ति:-

- “रबी विपणन मौसम 2026-27” के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) पिछले वर्ष से 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत रबी विपणन मौसम 2026-27 में राज्य के सभी जिलों में गेहूँ अधिप्राप्ति 01 अप्रैल 2026 से प्रारंभ की गयी है तथा गेहूँ अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 15.06.2026 निर्धारित की गयी है।
- रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए गेहूँ का अधिप्राप्ति लक्ष्य 18000 मे0 टन निर्धारित किया गया है।
- दिनांक-06.04.2026 तक 591 किसानों से 2617 मे0 टन गेहूँ की अधिप्राप्ति कर ली गई है।
- राज्य अन्तर्गत रबी विपणन मौसम 2026-27 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ गेहूँ क्रय करने के 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मसूर अधिप्राप्ति:-